

## राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, दिल्ली द्वारा संचालित योजना

### सावधि ऋण (Term Loan) NMDFC

यह योजना वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है। जिसे राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से लागू किया जाता है। लाभार्थी को परियोजना लागत का कम से कम 5% राशि अनिवार्य रूप से देना होता है। लाभार्थी से लिए जाने वाले ब्याज की दर घटते हुए शेष पर 6 प्रतिशत सालाना देय है।

- **Credit Line 1-** जिनकी वार्षिक आय 98,000/-रु० प्रतिवर्ष (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) एवं 1,20,000/-रु० प्रतिवर्ष (शहरी क्षेत्र के लिए)।
- **Credit Line 2-** घरेलु आय के साथ 6,00,000/-रु० प्रतिवर्ष।

❖ **Term Loan योजना का विवरण निम्नलिखित है:-**

क्र० सं०	मापदंड (Parameters)	स्कीम का ब्योरा	
		क्रेडिट लाईन 1	क्रेडिट लाईन 2
1	ऋण की अधिकतम राशि	20.00 लाख तक	30.00 लाख तक
2	सूद की दर (Rate of interest)	6% वार्षिक	8% p.a. पुरुष 2% p.a. महिला
3	ऋण स्थगन अवधि (Moratorium period)	6 माह	6 माह
4	लाभार्थियों के लिए पुनर्भुगतान की अवधि	5 वर्ष	5 वर्ष
5	ऋण उपयोग की अवधि	3 माह	3 माह